# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2013/00146

दौलत राम आत्मज सुवालाल जाति रेबारी निवासी डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. कस्तूरा आत्मज खाना जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामानः—
   1/1. गोविन्द पुत्र कस्तूरा जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. मोहन आत्मज खाना जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. सोलिया आत्मज खाना जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. मूलचन्द आत्मज हीरालाल जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. घीस्या आत्मज कस्तूरा जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 03.12.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी कुल 04 किता की रकबा 2.09 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का 1/3 व प्रतिवादी क्रम 04 का 1/3 हिस्सा निहित है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने दिनांक 12.02.2009 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 19.01.2011 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 01 कस्तूरा की मृत्यु हो चुकी है । मृतक कस्तूरा के कायममुकाम गोविन्द पुत्र कस्तूरा है । घासी उर्फ घीस्या पुत्र कस्तूरा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में पक्षकार हैं जिन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मृतक कस्तूरा के कायममुकाम श्री गोविन्द को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

6. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अवधि अन्दर पेश नहीं किया है । कस्तूरा की मृत्यु दिनांक 25.05.2010 को हो गई लेकिन वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2011 को प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर है जबकि वादी को उक्त प्रार्थना पत्र कस्तूरा की मृत्यु के 90 दिन के अन्दर पेश किया जाना चाहिए था । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

7. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2012 के द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी अवधि बाहर पेश किये जाने से दावा अबेट होना मानते हुए वाद वादी खारिज कर दिया ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अन्य प्रतिवादीगण भी मौजूद थे जिनके विरूद्ध भी परीक्षण न्यायालय ने वाद अबेट करते हुए वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2012 निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक कस्तूरा के कायममुकाम गोविन्द को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया जिसमें प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 15.04.2010 को तनकीयात कायम की गई और साक्ष्य वादी में पत्रावली दिनांक 13.05.2010 को नियत की गई थी उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं हुई । दिनांक 19.01.2011 को जब यह जानकारी मिली कि कस्तूरा की मृत्यु हो चुकी है तो एक आवेदन आदेश 22 नियम 04 सीपीसी के तहत पेश किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानते हुए दावा अबेट किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादी के अभिभाषक के द्वारा कस्तूरा की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं दी गई । कस्तूरा का पुत्र घीस्या पहले ही प्रतिवादी कम 05 के रूप में पक्षकार था अन्य प्रतिवादीगण भी मौजूद थे फिर भी दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट ने जानकारी होते ही कायममुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से एक दावा हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया था । दावे में प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया जा चुका था । वादी की ओर से दिनांक 19.01.2011 को प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने कायममुकाम का पेश किया और कथन किया कि प्रतिवादी कम 01 कस्तूरा की मृत्यु हो चुकी है उसके कायममुकाम घांसी पुत्र कस्तूरा और गोविन्द पुत्र कस्तूरा हैं । घांसी उर्फ घीस्या प्रतिवादी कम 05 के रूप में पहले से ही पक्षकार है । अतः गोविन्द को बहैसियत कायममुकाम रिकॉर्ड पर लिया जावे । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से इसके जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और कथन किया गया कि कस्तूरा की मृत्यु दिनांक 25.05.2010 को हो चुकी है । कायममुकाम का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं किया है । अतः दावा वादी अबेट हो गया है । परीक्षण न्यायालय ने इसके आधार पर दावा वादी अबेट घोषित कर खारिज किया है जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है ।

12. परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी के द्वारा जो नकल जमाबन्दी पेश की है उसमें कुल 04 किता की रकबा 2.09 हैक्टर आराजी कस्तूरा, मोहना, सोल्या हिस्सा 1/3, घीस्या हिस्सा 1/3, हीरा वल्द प्रताप हिस्सा 1/3 दर्ज है । वादी ने परीक्षण न्यायालय में वाद यह कथन करते हुए पेश किया है कि गोरधन जी के 03 पुत्र हुए किसमी, गुलाब व प्रताप । गुलाब के 02 पुत्र हुए धीरया और सुवालाल । वादी दौलतराम सुवालाल का पुत्र हाने के नाते 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी है । दावे में दिनांक 19.01.2011 को कस्तूरा की मृत्यु के आधार पर कायममुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि दिनांक 25.05.2010 को मृत्यु हो चुकी है । यह कायममुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिवस के बाद पेश किया गया है । अवधि मध्य कायममुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने के आधार पर दावा

अबेट किया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावा सिर्फ कस्तूरा के खिलाफ नहीं था वरन् 04 प्रतिवादी और थे ऐसी स्थिति में अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दाव अबेट नहीं किया जा सकता था । साथ ही दावा में विभाजन की सहायता भी मांगी गई थी । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी अबेट करने में विधिक त्रुटि की है । हम इस प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के अनुसार मृतक कस्तूरा के कायममुकाम गोविन्द को रिकॉर्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17.01.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/12/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा